न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत कैम्प ढोला, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 1798 / 2018
दायर तिथि 03.11.2018
तारीख फैसला- 23.08.2018

वादी:- मगाराम पुत्र जीवाराम जी जाति कुम्हार निवासी ढोला शासन, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादीगण:-

1.उदाराम
2.धीसाराम
3.रूपाराम
4.रमेशकुमार
5.कानाराम पुत्रगण चतुराराम
6.बेबीदेवी पुत्री चतुराराम घाँची निवासीगण पावा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली
7. श्रीमान् भूमिधारी-तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली(राजस्थान)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

-:निर्णय:-

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

(1) ग्राम ढोला शासन तहसील सुमेरपुर के खसरा न. 173 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म सेवज दोयम वार्षिक लगान 8 रूपये 30 पैसे की कृषि भूमि वादी के कब्जे काश्त की वक्त जागीरी से चली आ रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि वक्त जागीरी पुरोहितो की शासन जागीरी कृषि भूमि थी जिस पर वादी के पिता काश्त करते थे जागीरी जब्त के वक्त भी वादी के पिता काबिज थे तथा इस कृषि भूमि का लगान भोग एक चौथाई लाटा तत्कालिन जागीरदार को दिया जाता रहा है ओर इस तरह वादी के पिता उक्त भूमि का स्वीकृत कृषक रहे।

(2) वादी के पिता का देहान्त हो गया उसके बाद एक मात्र उनका पुत्र वादी ही है। वादी के पिता के जीवनकाल में प्रतिवादीगण के पिता चतुरा पुत्र घासा को खेती करने के लिये हल किराये पर लाये थे। तत्कालिन समय में बदोबस्त कार्य चल रहा था ओर उन बन्दोबस्त कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण के पिता का नाम पुछा तो उन्होने अपना नाम व अपनी वल्दीयत बताई जिस पर बन्दोबस्त कर्मचारियों ने राजसव रेकर्ड में प्रतिवादीगण के पिता का नाम दर्ज कर दिया।

(3) प्रतिवादीगण के पिता चतुरा पुत्र घासा का देहान्त हो गया है इस कारण उनकी जगह म्युटेशन सं 243 के जरिये प्रतिवादीगण का नाम हल्का पटवारी ढोला ने जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया जबकि वास्तव में इस जमीन पर प्रतिवादीगण ने न तो अपने जीवन काल में काश्त की एवं न ही इनके पिता ने काश्त की है केवल सेटलमेंट के वक्त जरूर प्रतिवादीगण के पिता को वादी के पिता ने हल किराये पर खेती करने के लिये लाये थे जो काश्त वादी के पिता की ओर से ही प्रतिवादीगण के पिता ने की है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादीगण के पिता का कब्जा काश्त जागीरदार की सहमती से खेती की हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

(4) प्रतिवादीगण क पिता की खातेदारी रहते हुए उन्होने अपने जीवनकाल में कभी भी वादी के पिता को कब्जे से बेदखल नहीं किया ओर न ही वादी का जो पिछले 60 वर्षो से लगातार जो कब्जा काश्त है। जिसको भी प्रतिवादीगण ने अंदर म्याद वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया ओर न ही कब्जे काश्त में अडचन व्यवधान या बाधा ही डाली अर्थात वादी का पिछले 60 वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से निर्बाध रूप से निरन्तर कब्जा काश्त है ओर अब प्रतिवादीगण तारीख 05.09.2015 को इस बात की धमकी देने वादी के घर आये कि या तो इस जमीन के ऐवज में हमें बाजारू दर से कम रूपये अदा कर वादी अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा ले वरना इस वर्ष तो वादी ने फसल काट ली है ओर फसल बो दी है लेकिन अब सावणु फसल प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर खेती करने आयेगे ओर वादी ने अगर कोई अडचन की तो प्रतिवादीगण इस जमीन को वादी से मजबुत आदमी क पक्ष में बेचाण कर देगे तब वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि मैं तो दुर्घटना होने से विकलांग हो गया हुं ओर तुम लोगों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा ओर न ही तुम्हारे पिता का रहा है तुम वादग्रस्त कृषि भूमि से करीब 30 किलोमीटर दुर पावा गांव में बैठे हो इस जमीन को जानते भी नहीं हो ओर नाम की क्यों धमकी दे रहे हो तब दो लोग वादी के घर से उठते हुये कहा कि यह अंतिम चेतावनी है हम करके दिखायेगें जिस पर वादीको वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार की उद्घोषणा एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है।

(5) तहसीलदार सुमेरपुर व हल्का पटवारी ढोला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 173 रकबा 0.83 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में उदाराम घीसाराम रूपाराम रमेशकुमार कानाराम, बेबी देवी पुत्र चतराराम घांची निवासी पावा खातेदार दर्ज हैं। लेकिन जमाबंदी में दर्ज खातेदारों का उपरोक्त भूमि पर आजतक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है गत खसरा नं. 81 के हाल खसरा नं. 173 रकबा 0.83 हैक्टर पर वर्ष 2010 से आजतक मगाराम पुत्र जीवाराम कुम्हार का ही निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः परिणामतः वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के ग्राम ढोला शासन तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा न. 173 रकबा 0.83 हैक्टर से **संबंधित खातेदारी घोषणात्मक बाबत्** प्रथमतः परिपोषणिय व चलने योग्य होने से स्वीकार **किया जाता है।** तहसीलदार सुमेरपुर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **23.05.2018** को राजस्व लोक अदालत ढोला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर-पाली

Scanned by CamScanner